झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद/ अपीलवाद   संख्या 12   वर्ष 2024

विविधवाद/ प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्री देवधारी साव,
राशन कार्ड - 202005303591
प्र0- चौपारण, हजारीबाग ।

वाद प्राप्ति की तिथि
02/05/2024

बनाम

प्रतिवादी DSO, हजारीबाग ।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद सं0—12 / 2024 परिवादी श्री देवधारी साव, राशन कार्ड सं0—202005303591, प्रखण्ड—चौपारण, जिला—हजारीबाग का परिवाद पत्र व्हाटसएप्प के माध्यम से आयोग को प्राप्त हुआ है। परिवादी द्वारा सूचित किया गया है कि उनके द्वारा दिनांक—19.01.2024 को समर्पित परिवाद पत्र पर अबतक कार्रवाई नहीं की गई है। उल्लेखनीय है कि परिवादी द्वारा दिनांक—19.01.2024 को आयोग के व्हाटसएप्प नं0 पर राशन कार्ड में नाम जोड़ने से संबंधित परिवाद पत्र समर्पित किया गया था। परिवादी द्वारा सूचित किया गया था कि उनके राशन कार्ड सं0—202005303591 में उनकी पुत्री प्रतीभा साहू का नाम नहीं जोड़ा गया है। प्राप्त परिवाद पत्र की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला आपूर्ति पदाधिकारी, हजारीबाग को प्रेषित की गई थी, जिसपर कार्रवाई प्रतिवेदन अप्राप्त रहा। अतः प्राप्त परिवाद पत्र पर आयोग स्तर से सुनवाई किये जाने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक—11.06.2024 को निर्धारित की जाती है। प्रस्तुत मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, हजारीबाग को प्रतिवादी बनाया जाय। प्राप्त परिवाद—पत्र की प्रति प्रतिवादी को भेजते हुए उक्त सुनवाई के दौरान जिला आपूर्ति पदाधिकारी, हजारीबाग को सशरीर आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर एवं अपीलकर्ता को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें। दिनांक—11.06.2024 को अपराह्न 12:00 बजे रखें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। C:\Users\PC-06\Dropbox\Anju\आदेश . . . docx209	